चेतावनी (مقام عبرت)

वर्तमानयुग के उलेमा *हदीस*

के

दर्पण में

संपादक व अनुवादक

अल्.हाज डॉ॰ ख़ुर्शीद आलम तारीन

AHMADIYYA ANJUMAN ISHA'AT ISLAM INDIA
L-25A, Dilshad Garden, Delhi-110095 Ph. 22596616
E-mail : ahmadiyyaanjuman@yahoo.co.in
Our website : www.aaiil.org. (or) islam.it
www.aaiil.org / india

2009 AD

अहमदिय्या अंजुमन इशात-ए-इस्लाम हिन्द
शाखा कलमदान पुरा, श्रीनगर, कश्मीर
पिन. १९००२

Scanned with CamSca

चेतावनी (مقام عبرت)
वर्तमानयुग के उलेमा *हदीस* के दर्पण में

प्रथम उर्दू संस्करण : 1995 AD
प्रथम हिन्दी संस्करण : 2009 AD

© **2009,** Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam Lahore Inc.,U.S.A.
P.O. Box 3370, Dublin, Ohio 43016, U.S.A.
Internet : www.muslim.org
E-mail : aaiil@aol.com
All Rights Reserved throughout the world.
The Copyright of this hindi booklet, in printed, electronic and all other forms, is strictly enforced by the Publisher.

भारत में मिलने का पता :

A.A.I.I.L
THE MOSQUE, QALAMDAN PORA,
SRINAGAR, KASHMIR
A.A.I.I.L
L-25A, DILSHAD GARDEN,
DELHI- 110095
A.A.I.I.L
THE MOSQUE,
PEER MITHA JAMMU TAWI
PIN. 17000

Scanned with CamSca

चेतावनी (مقام عبرت)

(वर्तमानयुग के उलेमा *हदीस* के दर्तपण में)

अनुवादक की ओर से

चौदह सौ साल पहले आख़िरी नबी हज़रत मुहम्मद[सल्ल]ने हमारे ज़माने के बारे में यह भविष्यवाणी की थी कि वह ज़माना इस्लाम के लिए बड़ा ही नाजुक ज़माना होगा। क्योंकि उस वक्त इस्लाम की जड़ें काटने वाले पराये नहीं, बल्कि स्वयं उस ज़माना के मौलवी होंगे। सारा धार्मिक फ़ितना व फ़साद उन्ही की वजह से होगा। यही भविष्यवाणियाँ हमारी उर्दू पुस्तिका *'मुकामि इबरत'* (مقام عبرت) का मूल विषय हैं। प्राक्कथन के रूप में हम ने वहाँ स्वर्ग॰ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का एक लेखांश नक़ल किया है जिस में उन्हों ने *अक़ीदे* (मान्यता) और *अमल* यानि कथनी और करनी के महत्त्व को बड़ी सुन्दरता से दर्शाया है। चेतावनी इसी उर्दू पुस्तिका का हिन्दी रूपांतर है।

मान्यताओं के ग़रूर और अभिमान का फ़ितना

इमामुल हिन्द मौलाना अबुल कलाम आज़ाद

"जिस *कलमा* के इक़रार मात्र से इस्लाम का महा शत्रु अबू सुफ़ियान और हज़रत हमज़ह[रज़]के कातिल वहशी का वध अवैध हो गया था, और यदि अबू जहल भी उसका इक़रार कर लेता तो उस की सारी उमर का कुफ़्र और अत्याचार मिट गया होता। आज सारी उमर इसी कलमा के व्यवहारिक प्रदर्शन में गुज़ार दीजिए लेकिन फिर भी ईमान वालों में शुमार होने का हक़ प्राप्त नहीं हो सकता.....आज यह हाल है कि इस्लाम और ईमान का सारा दारोमदार महज़ गिनती की कुछ فروعی *फ़रोई* (गौण, अप्रधान) मान्यताओं के इक़रार तक सीमित हो कर रह गया है। इन्ही मान्यताओ के प्रति नाज़

Scanned with CamSca

और ग़रूर में हर व्यक्ति मसत नज़र आता है। अमल का सही होना, बुराई से बचना और अच्छाई को अंगीकार करना इस बात का महत्त्व और इसकी अनिवार्यता एकदम विस्मृत हो चुकी है.....आज सारी कोशिश और प्रयास इस बात को देखने पर व्यय होता है कि फुलाँ व्यक्ति की मान्यताएं कैसी हैं? यानि तथाकथित गौण एवं अप्रधान मान्यताओं के बारे में उसका क्या हाल है? इस बात को कोई नहीं देखता कि उसका अमल कैसा है? अल्लाह और उसके रसूल[सल्ल] की मुहब्बत के निमित जान और माल व्यय करने का क्या हाल है? नेक और पवित्र जीवन जीता है? मनुष्यमात्र के प्रति उसका व्यवहार कैसा है? प्रभु के भय से दिल खाली है या भरपूर? लेनदेन में उसका क्या हाल है?.....इन सारी बातों में (जिन के अलग कर देने के बाद इस्लाम में कुछ भी बाक़ी नहीं रहता) इसका हाल चाहे कुछ ही क्यों न हो, लेकिन यदि चंद मतभेदवाली ग़ैर–ज़रूरी मान्यताओं में हम से सहमत है तो हमारी दृष्टि में उस से उत्तम व्यक्ति संपूर्ण भूमंडल पर और कोई नहीं.....यह मान्यताओं के ग़रूर और अभिमान का फ़ितना बहुत ही बड़ा फ़ितना है, और आज मुसलमानों की रीढ़ की हड्डी इस से घली जा रही है, ولٰكن اكثر الناس لايعلمون *व लाकिन क़सरूनन नासि ला यअलमून* (लेकिन लोगों का अधिकांश ज्ञान नहीं रखता)।''

Scanned with CamSca

चेतावनी

वर्तमानयुग के उलेमा *हदीस* के दर्पण में

(1)

يوشك ان ياتى على الناس زمان لايبقى من الاسلام الا اسمه ولايبقى من القرآن الارسمه مساجدهم عامره وهى خراب من الهدى علماءهم شرّ من تحت اديم السماء من عندهم تخرج الفتنه وفيهم تعود. (مشكواة.كتاب العلم)

"निस्संदेह मेरी *उम्मत* (संपूर्ण मुस्लिम समुदाय) पर एक ऐसा समय आये गा जब इस्लाम का सिर्फ़ नाम रह जाये गा, और कुर्आन (का पाठ) सिर्फ़ रसम के लिए होगा। मस्जिदें संख्या में अनेक होंगी, लेकिन *हिदायत* (मार्गदर्शन) का साधन न होंगी। उलेमा (मुस्लिम विद्वान) आसमान के नीचे सब से अधिक बुरे जीव होंगे, उन्ही से फ़ितना फूटे गा और उन्ही में वापस लौट जाए गा।" *(मिशकात. किताबुल्.अिलम)*

इस पवित्र *हदीस* के बारे में मुस्लिम विद्वानों की राय

स्वर्ग॰ मौलाना सदीक़ हसन ख़ान साहिब भोपाली

"अब इस्लाम का सिर्फ़ नाम और कुर्आन का सिर्फ़ नकश *(अ॰ रसम)* रह गया है। मस्जिदें प्रत्यक्षतः आबाद हैं लेकिन हिदायत के मामले में बिल्कुल वीरान हैं। इस *उम्मत* के उलेमा उन सब जीवों से बदतर हैं जो आसमान के नीचे हैं, इन्ही से फ़ितने निकलते हैं, इन्हीं में वापस लौट जाते हैं।"

(*इक़तिराबुस् साअह,* पृष्ठ 12)

स्वर्ग॰ मौलवी सना उल्लाह साहिब अमृतसरी

(1) "हज़रत अली[रज]एक हदीस बयान करते हैं : अल्लाह के रसूल[सल्ल]ने फ़रमाया : लोगों पर शीघ्र ही ऐसा ज़माना आये गा जब इस्लाम का नाम रह जाये गा, और कुर्आन की लिपि। उस समय उलेमा आसमान के नीचे सब से बुरे जीव होंगे। सारा फ़ितना व फ़साद उन्ही के कारण होगा।

Scanned with CamSca

हम देख रहे हैं कि आज कल वही ज़माना आ गया है।"

(अख़बार अहले हदीस, 25 अप्रैल 1930)

(2) मौलवी अब तालिबे दुनियाए जीफ़ह हो गए।
वारिसे इलमे पैयम्बर का पता लगता नहीं।।

(*अख़बार अहले हदीस*, 31 मई 1912)

(यानि हमारे मौलवी लोग मुरदार रूपी दुनिया के इच्छुक बन गए हैं, वह सौभाग्यशाली महा पुरुष जो सचमुच हज़रत पैग़म्बरश्री[सल्ल]के आध्यात्मिक ज्ञान का वारिस है उसका पता ही नहीं चलता)

स्वर्ग॰ मौलाना अलताफ़ हुसैन साहिब हाली

वह फ़िरका[1] जो आफ़ाक़[2] में मोहतरम[3] था।
वह उम्मत लक़ब[4] जिसका खैरुल्.उम्मम[5] था।।
निशान उसका बाक़ी है अब इसकदर याँ।
कि गिनते हैं अपने को हम भी मुसलमान।।
रहा दीन बाक़ी न इस्लाम बाक़ी।
इक इस्लाम का रह गया नाम बाक़ी।। *(मुसदसे हाली)*

1. धर्मसमुदाय, 2. आकाश, 3. आदरणीय, 4. उपाधि, 5. सर्वश्रेष्ठ धर्मसमुदाय

स्वर्ग॰ डॉ॰ सर मुहम्मद इक़बाल

(1) यों तो सैयद भी, मिर्ज़ा भी, अफ़ग़ान भी हो।
तुम सभी कुछ हो बताओ तो मुसलमान भी हो?

(2) शोर है होगए दुनिया से मुसलमान नाबूद[1]
हम यह कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद

(3) बुझी इशक़ की आग अँधेर है।
मुसलमान नहीं खाक[2] का ढेर है।।

(4) कारे मुल्ला फ़ी सबीलिल्लाह फ़साद
(मुल्ला का काम अल्लाह के मार्ग में फ़साद उत्पन्न करना है)

1. मिट जाना, 2. धूल, मिट्टी

मुफ़्ती–ए–अज़्म पाकिस्तान मौलाना मुहम्मद शफ़ी

"(आज हर ओर) शैतान और शैतानी शिक्षा, कुफ़्र और नास्तिकता, अल्लाह और रसूल से बग़ावत, निर्लज्जता और ऐयाशी के प्रति हमारे स्वभाव इतने आसक्त हो रहे हैं, कि इन चीज़ों की नफ़रत दिलों से

Scanned with CamSca

निकल चुकी है। इस पर किसी को क्रोध नहीं आता....आपस में ज़रा ज़रा सी बात पर झगड़ा है। मतभेद के छोटे से बिन्दू को बढ़ा कर पहाड़ बना दिया जाता है। दोनों पक्ष अपनी सारी शक्तियाँ इस पर ख़र्च कर देते हैं, कि मानो *जिहाद* हो रहा हो, और दो लड़ाकू घुट आपस में युद्ध कर रहे हों। और कोई अल्लाह का बन्दा अपनी ओर निगाह उठा कर नहीं देखता कि — ज़ालिम जो ढह रहा हो वह तेरा ही घर न हो!

राजनीति से लेकर खानसामानी और घरेलू मामलात तक सब में इसी का प्रदर्शन है। जहाँ देखो انماالمئومنون اخوة *(निस्संदेह मुसलमान आपस में भाई–भाई हैं)* का सबक़ पढ़ने वाले परस्पर गुथमगुथा हैं। कुर्आन शरीफ़ में जहाँ क्षमा और उपेक्षा, सहनशीलता और सहिष्णुता की शिक्षा दी गई थी वहाँ जंग हो रही है। जिस महाज़ पर टिके रहने का आदेश था वह दुश्मनों के लिए खुला है कि उसे तबाह व बुरबाद कर दें. ...दीन और धर्म के नाम पर काम करने वालों की संख्या कुछ तो पहले ही कम है, और जो है वह प्रायः कुर्आन व हदीस की बुनियादी शिक्षाओं को उपेक्षित कर गौण और अप्रधान मसलों में उलझ कर रह गई है। तुच्छ से तुच्छ मसला झगड़े का कारण बना हुआ है, और इस मामले में ग़ीबत, झूठ, अत्याचार, गलत ओरोप, व्यंग्य और उपहास जैसे महा पापों की भी परवा नहीं की जाती। धर्म के नाम पर स्वयं खुदा के घरों में युद्ध और लड़ाईयाँ लड़ी जाती हैं.....इन धमर्मियों को खुदा और रसूल पर व्यंग्य करने वालों, शराब पीने वालों, सूद और रिश्वत खाने वालों से वह नफ़रत नहीं जो इन मसलों में मतभेद रखने वालों से है।''

(बहवाला अख़बार *पैग़ामे सुलह*, लाहौर, 9 अक्तूकर 1963, पृ॰ 3)

जमाते इस्लामी का अख़बार दैनिक *'तसनीम'* लाहौर

''इस्लामी मसलों के मामले में मतभेद आदिकाल में भी पाया जाता था, यह कोई नई उपज नहीं, लेकिन उन पुण्य आत्माओं का मतभेद *उम्मते मुस्लिमा* (संपूर्ण मुस्लिम समुदाय) के लिए दयालुता और बरकत का कारण था। कष्ट का साधन न था। इसी प्रकार विभिन्न देशों में बसने वाले मुस्लिम धर्मशास्त्री और धर्मवेत्ता भी अनेक मामलों में एक दूसरे से मतभेद रखते थे, तसि पर भी प्रत्येक की राय या मत का पूरा सम्मान किया जाता था। यहाँ तक कि एक ही संप्रदाय से जुड़े हुए व्यक्ति कई बातों में एक

Scanned with CamSca

दूसरे से भिन्नमत थे.....जैसे इमाम अबू हनीफ़ा और उनके प्रमुख सहकारी शिष्य इमाम अबू यूसुफ़, इमाम मुहम्मद और इमाम ज़फ़र (अल्लाह उन सब पर अपनी दयालुता वर्षित करे!)। इन लोगों के मतों और विचारों का यदि आप अध्ययन करें तो लगभग 33 प्रतिशत मामलों में शिष्यों को गुरु से भिन्नमत पायें गे.....लेकिन जिस युग से हम गुज़र रहे हैं इसका बावा आदम ही निराला है। ज़रा किसी से मतभेद होगया तो समझो उसकी शामत आ गई। फिर उसके लिखे हुए वाक्यों में काँट छाँट शुरू हो गई। तरह तरह के शीर्षकों का आविष्कार होने लगता है। अजीब अजीब आरोप लगने शुरू हो जाते हैं और उस के आंदोलन का मतलब कुछ से कुछ लेकर पम्फलटों, विज्ञापनों और पोसटरों के रूप में प्रकाशित होने लगता है, और जनसाधारण के मन में उसके प्रति नफ़रत और घृणा जगाने में *'कारे मुल्ला फ़ी सबीलिल्लाह फ़ासाद'* (यानि मुल्ला का काम ही अल्लाह के मार्ग में फ़साद पैदा करना है) का 'पावन धर्मयुद्ध *(जिहाद)'* शुरू कर दिया जाता है.... आप पोसटर बाज़ी के इस *जिहाद* को चिरकाल से देखते चले आ रहे हैं। इनके शीर्षकों और इन में लिखे हुए आरोपों को देख कर एक तरफ़ा फ़ैसला करना छोड़ दीजिए। इन पोसटरों को देख कर हैरान होन की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि इस एतिहासिक चीज़ से सबक़ हासिल कीजिए। यह एक करतब है, खेल है। और खेल भी धर्म के साथ है। इस से अधिक इसका महत्त्व कुछ नहीं। आप जब कभी इस तरह का पोसटर देखें तो कदापि प्रभावित न हों, बल्कि इसे बेकार खेल समझ कर उपेक्षित कर दें। और واذا مروا باللغو مروا كراما *(जब तुम कोई बेकार खेलतमाशा देखो तो सम्मानजनक तरीक़े से मुँह फेर कर चले जाओ)* के कुर्आनी आदेश पर अमल करें।

मैं यह निवेदन बिना दलील पेश नहीं करता। आप यदि यह दलील देखना ही चाहते हैं तो किसी भीं लेखक की कोई भी *अबारत* (लेखांश), कुछ वाक्य पूरी किताब से नक़ल कर के मूलविषय से अलग कर किसी भी *दारुल अफ़ताअ* (फ़तवा केन्द्र) के मुनशी को भेज दीजिये, आप को इस अबारत और लेखक के खिलाफ़ कुफ़्र, अधर्म, नास्तिकता, और गुमराही का फ़तवा घर बैठे बिठाये मिल जाए गा। यह खेल आप किसी भी लेखक के साथ खेल कर देख लीजिए, वास्तविकता आप से आप ज़ाहिर हो जाए गी।

Scanned with CamSca

मैं ने इन ही दिनों **दारुल् उलूम देवबन्द** के संस्थापक मौलाना मुहम्मद क़ासिम साहिब की एक छोटी सी किताब *"तसफ़ियतुल्.अक़लाअ"* के दो तीन वाक्य स्वयं दारुल अफ़्ताअ देवबन्द को भेजे। वहाँ से जो फ़तवा जारी हुआ, वह मेरे पास है। सबक़ हासिल करने के लिए मैं मौलाना मुहम्मद क़ासिम की *अबारत* (लेखांश) और देवबन्द का फ़तवा नक़ल करता हूँ :

मौलाना मुहम्मद क़ासिम
संस्थापक *दारुल्.उलूम देवबन्द* का लेखांश

"*दरोग़े सरीह* (हक़ीक़ी झूठ) भी कई प्रकार का होता है। जिन में से हर एक पर एक जैसा विधान लागू नहीं होतो। हर तरह के नबी के लिए *मासूम* (दोषरहित) होना अनिवार्य नहीं। *बिल्जुमला अ.लल्.अमूम* (सर्वर्था एवं साधारणतया) झूठ को नबी की शान के प्रतिकूल समझना, यानि उसे भी *मआसीयत* (अपराध, गुनाह) समझना और यह कहना कि नबीगण (उन पर अल्लाह की शांति वर्षित हो!) *मआसी* (दोषों, अपराधों) से पाक हैं, यह बात दोषरहित नहीं।"

देवबन्द से जारी होने वाला फ़तवा

जवाब : "नबीगण (उन पर अल्लाह की शांति वर्षित हो!) *मआसी* (गुनाहों) से पाक हैं। उनको (अल्लाह न करे) *मआसी* का पात्र समझना *अहले सुन्नत वल जमात* का *अक़ीदा* (मान्यता) नहीं। इसकी वह *तहरीर* (लेख) ख़तरनाक भी है, और आम मुसलमानों को ऐसे लेखों का पढ़ना जाइज़ भी नहीं। फ़क़त, *वल्लाहु आलम* (अल्लाह सब से अधिक जानता है) हस्ताक्षर उपमुफ़्ती दारुल्.उलूम

"जवाब सही है ऐसा अक़ीदा रखने वाला काफ़िर है। जब तक वह फिर से ईमान न लाये और फिर से निकाह न पढ़े उस से संबंध तोड़ दें।" (हस्ताक्षर मसूद अहमद)

इसी एक अमली सबूत को सामने रख कर गोर कीजिये कि इन पोसटरों की क्या हक़ीक़त होती है।

(अख़बार दैनिक तसनीम लाहौर, दिनांक 17 जनवरी 1956 ई॰)

Scanned with CamSca

(2)

لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر و ذرعا بذراع قالوا اليهودوالنصارى
يارسول الله . قال فمن ؟ (بخارى و مسلم)

(यानि तुम उन क़ौमों से पूर्ण सदृश्यता पैदा कर लो गे जो तुम से पहले थीं। निवेदन किया गया : ऐ अल्लाह के रसूल! क्या यह सदृश्यता यहूदियों और ईसाइयों के साथ होगी? हज़रत पैग़म्बरश्री[सल्ल]ने फ़रमाया : और किस के साथ?)

इस पवित्र हदीस के बारे में उलेमा की राय

(1) *अख़बार अल–बशीर,* अटावा

"आज कल बहुत से मुस्लिम विद्वानों की जो हालत है वह फ़ोटो है उस ज़माने के यहूदी और ईसाई धर्माचर्यों का।"

(अख़बार *अल–बशीर,* अटावा, दिनांक 11 सतम्बर 1907 ई॰)

(2) अख़बार *वकील* अमृतसर

"मुसलमानों ने पहले व्यक्तिगत जीवन में यहूदियों और ईसाइयों का अनुसरण किया और अब सामूहिक जीवन में करने लगे।" (अख़बार *वकील* अमृतसर, दिनांक 15 जनवरी 1907 ई॰ ; ध्यान रहे कि उस समय इस अख़बार के संपादक स्वर्ग॰ मौलाना अबुल्.कलाम आज़ाद थे)

(3) मशहूर अहले हदीस लीडर स्वर्ग॰ मौलाना सना उल्लाह अमृतसरी

"नाम के इसराईली तो आँखों से ओझल हो गए, और दुनिया से उनका नाम मिट गया। लेकिन अफ़सोस! काम के इसराईली अब भी मौजूद और तरक्क़ी पर हैं।. हम ने *सजादा नशीनी* का गौरव हासिल किया, और इसराईली बागडोर हाथ में ले ली। और अपना घोड़ा घुडदौड़ में इसराईलियों से भी आगे बढ़ा दिया। सच्चे अनपढ नबी ने (मेरे मातापिता उसपर कुर्बान!) यानि हज़रत मुहम्मद[सल्ल]ने आज से साढ़े तैरह सौ वर्ष पहले हमारी इस घुड़दौड़ और उस में बाज़ी ले जाने की भविष्यवाणी की थी। उस भविष्यवाणी के शब्द ये थे कि निश्चय ही मेरी *उम्मत* से भी लोग बुराइयों में इसराईलियों से सदृश्यता पैदा कर लें गे, यहांतक कि यदि उन में से किसी ने अपनी माता के साथ व्यभिचार किया होगा तो मेरी उम्मत में भी माता से व्यभिचार करने वाले व्यक्ति मौजूद होंगे। वास्तविकता यह है कि आज हम अहले हदीस

Scanned with CamSca

कहलाने वाले भी कदम ब कदम इसराईलियों का अनुसरण कर रहे हैं। हर मामला में मसलिहत, दूर दर्शिता, समय की ज़रूत या पॉलसी, ज़रपरस्ती (धन का मोह), खुशामद और चापलूसी जैसे बुतों को सच्चा ईश्वर समझ कर उनकी पूजा करने लगे हैं।" (*अख़बार अहले हदीस,* 25दसम्बर 1931 ई॰, पृं 11)

(3) स्वर्ग॰ अल्लामा सर मुहम्मद इक़बाल

वज़ह[1] में तुम हो नसारा[2] तो तमदुन[3] में हनूद[4]
यह मुसलमान हैं जिन्हें देख के शरमाएं यहूद[5] (*बांगे दरा*)

1. ज़ाहरी लिबासादि, 2. ईसाई, 3. रहनसहन, 4. हिन्दु लोग, 5. यहूदी शब्द का बहुवचन

(5) स्वर्ग॰ इमामुल् हिन्द मौलाना अबुल्.कलाम आज़ाद

अपनी सुविख्यात उर्दू कृत्ति *"तज़किरह"* में आख़िरी ज़माना से संबंधित समस्त निशानियों की चर्चा के बाद अन्त पर लिखते हैं :

"अल्लाह की महिमा हो! उस सच्चे पैग़म्बर[सल्ल] जिस की सच्चाई साबितशुदा है, का कथन किस तरह शब्दशः पूरा हो रहा है। यह जाहिलाना इनतज़ार और लापरवाही वास्तव में उसी भविष्यवाणी का प्रकटन है : कि मेरी *उम्मत* भी वह सब कुछ करे गी जो यहूदियों ने किया। यही तो पूरी पूरी यहूदियत है कि भविष्यवाणियों पर भविष्यवाणियाँ ज़ाहर और पूरी होती जाती थीं लेकिन यहूदियों का इनतज़ार ख़तम ही नहीं होता था। कहते थे कि अभी वह समय कहाँ अया? फलतः आज तक मसीहा के आविर्भाव और इसराईलियों की अन्तिम राज्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं (मतलब साफ़ है कि आख़िरी ज़माने यानि मुहम्मदी मसीहा के ज़माने के सारे निशान ज़ाहर और पूरे हो चुके हैं, अतः अब यहूदियों की तरह मुहम्मदी मसीहा हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहिब कादियानी का इनकार दर असल इसी चमत्कारी भविष्यवाणी का ही एक अनिवार्य अंग है। अल्लाह की शान! अल्लाह के पैग़म्बर[सल्ल]ने जैसा फ़रमाया था वैसा ही शब्दशः पूरा हो रहा है——ख़ुर्शीद)।

(*तज़किरह.* पृ॰ 292, प्रकाशक साहित्य अकादमी)

हज़रत मुजदद अलफ़ सानी ने अपनी दिव्य–दृष्टि से आख़िरी ज़माना के उलेमा के इनकार का यह भयानक नज़ारा पहले ही निहार लिया था, इसी लिये उन्हों ने अपने *मकतूबात* (पत्रों) में एक जगह साफ़ साफ़ लिख दिया है कि वह समय ज़यादा दूर नहीं जब इस्लाम के उलेमा आने वाले

Scanned with CamSca

मसीहा की मुख़ालफ़त में सब से आगे होंगे और उनको काफिर करार देंगे, और उनको ईस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन समझें गे।

(देखो *मकतूबात,* जिल्द 2, *मकतूब* (पत्र) संख्या 55)।

यही बात **मौलाना नवाब सदीक़ हसन ख़ान बोपाली** ने महदी के बारे में लिखी है कि उस ज़माना के उलेमा महदी को इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन समझें गे, और उसके खिलाफ़ कुफ्र का फ़तवा जारी करें गे।

(देखो *हिज्जजुल् किरामह,* पृ॰ 363)

इन्ही नवाब साहिब के बेटे की पुस्तक *इक़तिराबुस् साअह* में लिखा है,

"महदी के दुश्मन उलेमा और मुस्लिम धर्मशास्त्री होंगे, वह इस लिए कि महदी पूर्ववर्ती इमामों के (बाज़) फ़ैसलों के खिलाफ़ हुकम दें गे।"

(*इक़तिराबुस् साअह,* पृ॰ 95)

अतः हज़रत मिर्ज़ा साहिब के खिलाफ़ उलेमा का व्यापक आंदोलन भी हज़रत पैग़म्बरश्री[सल्ल]की भाविष्यवाणी की सत्यता का ही एक अनिवार्य अंग है। याद रहे कि *मंसीहा* और *महदी* के इस प्रतिज्ञात **(promised)** ज़माना में हज़रत मिर्ज़ा साहिब के सिवा और किसी ने यह दावा पेश नहीं किया कि अल्लाह ने उसे *मुहम्मदी मसीहा* और *महदी* बना कर भेजा है। अजीब संयोग है कि हज़रत मिर्ज़ा साहिब के *दावा–ए– मसीहत या महदवियत* पर उलेमा को कतअन कोई आपत्ति नहीं। यही वजह है कि उलेमा की तरफ़ से जारीशुदा फ़तवा *"अहमदियों की छः वजूहाते कुफ़्र"* में इन दावों को शामिल नहीं किया गया है।

Scanned with CamSca

चेतावनी

भाग (2)

वर्तमान युग के उलेमा स्वयं अपने ही फ़तवों के दर्पण में

शीआ संप्रदाय के ख़िलाफ़ सुन्नियों का फ़तवा

"इन राफ़िज़ियों तबर्राईयों के विषय में सर्वमान्य एवं कतई फ़ैसला यही है कि वे सर्वथा *काफ़िर* और *मुरतद* (इस्लाम से बाहर) हैं। इनके हाथ का ज़िबह किया हुआ जानवर मुरदार है। इनके साथ शादी–ब्याह न सिर्फ़ हराम बल्कि शुद्ध व्यभिचार है.....इनके मर्द औरत, जाहिल और विद्वान किसी से भी मेलजोल, सलामकलाम महा पाप एंव हराम है। जो .... इन्हें मुसलमान जाने या इनके काफिर होने मैं शक करे, वह इस्लाम के समस्त धार्मिक विद्वानों की सर्वसमत्ति के अन्तर्गत स्वयं काफ़िर और बेदीन (अधर्मी) है।"

(फ़तवा मौलाना शाह मुसतफ़ा रज़ा ख़ान साहिब,
दुर्र राफ़िजह, पृ॰ 22, प्रकाशक नूरी कुतुब खाना लाहौर,
सन् 1320 हिजरी)

"जो लोग हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़[रज]की इमामत और हज़रत उमर[रज]की ख़िलाफत के इनकारी हैं वे सब काफ़िर हैं।"

(*फ़तावा आलमगीरिया,* जिल्द 2, पृ॰ 273, कानपुर मुद्रित)

सुन्नियों के ख़िलाफ़ शीओं का फ़तवा

बक़ौल शीआ समुदाय हज़रत इमाम जअफ़र[अ] फ़रमाते हैं :

"जिस ने हम इमामों को पहचान लिया वही ईमान वाला है, और जिस ने हमारा इनकार किया वह काफ़िर है। और जो हमें न मानता और न इनकार करता है वह *ज़ाल* (गुमराह) है।"

(*अस्.साफी,* भाग 3, अध्याय *फ़र्ज अल्–ताअत अल्–आइमा* पृ॰ 61, मुद्रण नोवल किशोर)

Scanned with CamSca

शीआ मुजतहिदों के निकट एक शीआ औरत का निकाह सुन्नी मर्द से नाजाइज़ है। जो कहीं ऐसा निकाह हो गया तो फ़तवा यह है :

"ऐसी सूरत में ..... वह निकाह अवैध है, और उनकी सन्तान *शरह* (इस्लामी धर्मविधान) के अनुसार हरामी होगी।"

(*मसला निकाह शीआ व सुन्नी का मुदलल फ़ैसला,*

लेखक इबन अल्लामा अलहाइरी, मुद्रण सटीम प्रेस लाहौर, पृ॰ 2)

देवबन्दी मुसलमानों के ख़िलाफ़ *अहले सुन्नत वल्–जमाअत* के तीन सौ उलमा का संयुक्त फ़तवा

"वहाबिया देवबन्दीया (यानि देवबन्द के वहाबी लोग) अपने लेखों में समस्त वलियों (सन्तों) और नबियों यहां तक कि हज़रत पैग़म्बरश्री मुहम्मद[सल्ल] और खास अल्लाह ताला के पावन व्यक्तित्व के विषय में अपमानजनक बातें लिखने की वजह से क़तअन *मुरतद* (इस्लाम त्यागने वाले) और काफ़िर हैं। इनका *इर्तिदाद* (इस्लाम से परित्याग) और कुफ़्र चरम सीमा तक पहुंच चुका है। ऐसा कि जो इन *मुरतदों* और काफ़िरों के *इर्तिदाद* और कुफ़्र में ज़रा भी शक करे वह भी इन्हीं जैसा *मुरतद* और काफ़िर है। और जो इस शक करने वाले के कुफ़्र में शक करे वह भी *मुरतद* व काफ़िर है। मुसलमानों को चाहिए कि इन से बिल्कुल ही विलग रहें। इनके पीछे नमाज़ न पढ़ने की तो बात ही क्या अपने पीछे भी इनको नमाज़ न पढ़ने दें। और न अपनी मस्जिदों में घुसने दें। न इनका ज़िबह किया हुआ जानवर खाएं और न इनकी शादी ग़मी में शरीक हों। न अपने यहाँ इन को आने दें। ये बीमार हों तो हाल पूछने न जाएं। मरें तो गाड़ने तोपने में भाग न करें। मुसलमानों के कबरिस्तान में जगह न दें। तात्पर्य यह कि सारे नाते तोड़ कर अलग रहें .....अतः *'वहाबी देवबन्दी'* घोर *मुरतद* और काफ़िर हैं। ऐसे कि जो इन को काफ़िर न कहे वह स्वयं काफ़िर हो जाए गा। उसकी बीवी उसके निकाह से बाहर हो जाए गी। और जो सन्तान होगी वह हरामी होगी और शरीयत के अनुसार दाय में कोई हिस्सा न पाये गी।"

(इस संयुक्त फ़तवे को मौलवी इबराहीम भागलपूरी ने एक बहुत बड़े इशतिहार के रूप में हसन बरक़ी प्रेस इशतियाक़ मंज़िल 63 हियूट रोड लखनऊ में छपवा कर प्रकाशित किया था। इस इशतिहार पर *अहल सुन्नत वल्–जमाअत* के 300 नामचीन उलेमा के नाम मुद्रित हैं)।

Scanned with CamSca

सन् 1934 ई॰ में *बज़्मे अहनाफ़* (हनफ़ी संघटन) लाहौर की ओर से एक पुस्तिका *"देवबन्दी, वहाबी और मिर्ज़ाई हक़ीक़ी भाई हैं"* छपी थी। इस में देवबन्दियों और नदवियों के बारे में लिखा है, कि ये लोग :

"देवबन्द और नदवा के ये उलेमा *पीराने पारसा* (नेक पीर–फ़क़ीरों) की शकल–सूरत में *हनफ़ियत* का चोला पहन कर प्रकट हुए। क़ादरी, चशती, नक़्शबन्दी बन कर हनफ़ियों के साथ मेलजोल और संबंध स्थापित किये। और इनके बीच मिलजुल कर रहने लगे। इनके कुब्बे–जुब्बे, फैलावदार अचकनें और दाढ़ियों को देख *अहले सुन्नत* जनता को धोखा लगा हुआ है, कि शायद यह गिरोह *उलमाए रब्बानी* (सन्तों) से है। और आड़े वक्त में *सही–उल–अक़ीदा* सुन्नी हनफ़ी मुसलमानों के सुधार और सहायता के लिए मैदाने अमल में आया है। इन सीधे सादे सुन्नी मुसलमानों को क्या खबर कि : कोई माअशूक़ है इस परदाए ज़न्गारी में! (मलतब यह कि वे उनके बहरूप से ठगे जा रहे हैं। खुर्शीद)....लिहाज़ा अपने सुन्नी भाइयों को देवबन्दी चालों और दुष्प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए हम नीचे इन *देबन्दी वहाबियों* की कुछ मान्यताएं दरज करते हैं, और उन से निवेदन करते हैं कि आधुनिक युग के इन बहरूपियों और कपटाचारियों के संसर्ग से बचें और अपनी सही मान्यताओं और ईमान की रक्षा करें.....

वहाबीया देवबन्दीया की कुछ धारणाएं

(1) *"या रसूलुल्लाह!* कहना कुफ़्र है, यदि यह विश्वास हो कि रसूल हमारी बात को सुन लेता है। यदि ऐसा नहीं तो कुफ़्र के सदृश है।" (*फ़तावा रशीदिया,* जिल्द 3, पृ॰ 80)

(2) "ग़ैर–अल्लाह से मदद माँगना चाहे वली हो या नबी शिर्क है।" (*फ़तावा रशीदिया,* जिल्द 3, पृ॰ 16)

(3)"जो व्यक्ति *अल्लाह जल्ल–शानहू* के सिवा परोक्ष का ज्ञान किसी दूसरे में साबित करे वह बेशक काफिर है।" (फ़तावा रशीदिया, जिल्द 2, पृ॰ 16)

(4) **सवाल** : *"अस् सलातु वस् सलाम अलै.क या रसूलुल्लाह!* का वज़ीफ़ा (जाप) पढ़ना और हज़रत पैग़म्बरश्री[सल्ल] को हाज़िर नाज़िर (अन्तरयामी) समझना..... *या अब्दुल् कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह!* का

Scanned with CamSca

वज़ीफ़ा पढ़ना और *या अली! और या हुसैन!* उठते बैठते कहना कैसा है?"
जवाब : यह जवाब मौलवी अहमद अली नाज़िम अंजुमन खुदामुद् दीन व मदरसा क़ासिमुल् अलूम शैर अन्वाला दरवाज़ा लाहौर ने दिया है :

"यदि रसूलुल्लाह को *हाज़िर नाज़िर* न समझा जाये, बल्कि यह विचार हो कि फ़रिश्ते ले जाकर पहुंचा दं गे तो इस दरूद शरीफ़ के पढ़ने में कोई हरज नहीं। हनफ़ियों की किताबों में जैसे (दुर्रे मुख़्तार) में इस वज़ीफ़ा के पढ़ने वालों की तकफ़ीर मौजूद है (यानि ऐसा वज़ीफ़ा पढ़ने वाले काफ़िर हैं)। अतः हरगिज़ न पढ़ना चाहिए। यही बात *या अली!* सरीखे शब्दों पर लागू होती है, यादि *हाज़िर नाज़िर* समझ कर पढ़ता है तो कुफ़्र है, अन्यथा फिर भी इन शब्दों के जाप से बचना चाहिये। इन के स्थान पर इन लोगों को अल्लाह के नाम का ही जाप करना चाहिए।"

(5) "*ईदे मिलाद* के सम्मिलन और जलसे *बिदअत,* हराम और अधर्म हैं। ये कृष्ण कंहया के सवांग की तरह हैं या राफ़िज़ियों की *मजालिसे शहादत* की तरह हैं.....।" (देखो *बराहीने क़ातिआ,* पृ॰ 140,
लेखक ख़लील अहमद अंबेठवी)

(6) मौलवी अशरफ़ अली थानवी की किताब *हिफ़्ज़ुल् ईमान* में लिखा है :

"फिर यह कि आप की ज़ाते मुकद्दसा पर गैब का हुकम किया जाना अगर बक़ौल ज़ैद सही हो तो पूछा जा सकता है कि इस से अभिप्राय बाज़ ग़ैब है या कुल। अगर परोक्ष संबंधी बाज़ ज्ञान मुराद हैं तो इस में हज़रत पैग़म्बरश्री[सल्ल]की क्या विशेषता है? इस तरह का ज्ञान तो ज़ैद और उमर बल्कि हर बच्चे और पागल बल्कि सभी जीव–जन्तुओं को भी प्राप्त है।" (पृ॰ 7 व 8)

अल्लाह बचाये! कैसे निस्संकोच हज़रत पैगम्बरश्री[सल्ल]के ज्ञान की तुलना बच्चों, पागलों....आदि के ज्ञान के साथ की गई है। अल्लाह ऐसे मौलवियों के साये से भी बचाये!

मौलवी अशरफ़ अली थानवी अपना *कलिमा* पढ़वाने लगे

उम्मते देवबन्दीया के हकीम (तत्त्वज्ञ) अपना कलमा भी पढ़वाने लग गए हैं जो मिर्ज़ा के फ़रिश्तों को भी न सूझा था। मुलाहज़ा हो : एक मुरीद के सवाल के जवाब में अपनी पत्रिका *'अल् इमदाद'* सफ़र 1336 हिजरी

Scanned with CamSca

के पृष्ठ 35 पर लिखते हैं :

सवाल : "ख़वाब में कलिमा शरीफ़ पढ़ता हूँ। लेकिन बजाये *ला इला.ह इल्ललाहु मुहम्मदुर रसूलुल् लाह* के *ला इला.ह इल्ललाहु अशरफ़ अली रसूलुल्लाह* जुबान से निकलता है। समझता हूँ कि ग़लत है, सुधार की कोशिश करता हूँ लेकिन जुबान पर फिर से वही कलमा जारी होता है। घबरा कर ख़वाब से जाग पड़ता हूँ और अपनी ग़लती पर रोता हूँ, और इस के निवारण के लिए हज़रत पैग़म्बरश्री[सल्ल]पर दरूद शरीफ़ पढ़ता हूँ। लेकिन फिर जुबान से *अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना अशरफ़ अली* निकल जाता है। क्या करूँ, विवश हूँ, आप के प्रेम में खो चुका हूँ।" (सारांश)

जवाब : इस वाकया में तसल्ली थी कि जिस की ओर तुम प्रवृत्त हो वह अल्लाह की मदद से *सुन्नत* (यानि हज़रत पैग़म्बरश्री[सल्ल]के आदर्श) पर चलने वाला है। (यानि भले ही तुम इन शब्दों को ग़लत समझ कर परेशान हो, लेकिन यदि इन को सही भी समझ लो तो भी कोई हरज नहीं, क्योंकि मैं इन शब्दों और उपाधियों का हर प्रकार पात्र हूँ)।

(बहवाला *अख़बार पैग़ामे सुलाह,* लाहौर,
3 दसम्बर 1934 ई॰, पृ॰ 7 व 8)

संपादक का नोट :

यहां यह बता देना ज़रूरी है कि बक़ौल हज़रत मिर्ज़ा साहिब नबी के लिए एक अनिवार्य शर्त यह भी है कि वह लोगों से अपना कलिमा पढ़वाये, अतएव लिखते हैं :

"यदि अल्लाह ताला की सारी किताबों को देखा जाए तो मालूम होगा कि तमाम नबी यही सिखलाते आये हैं कि अल्लाह ताला को *वह.द.हू लाशरीक* (अकेला एवं समस्त साझेदारियों से पाक) मानो, और साथ ही हमारी *रिसालत* यानि हमारे रसूल होने पर ईमान लाओ। इसी वजह से इस्लामी शिक्षा का सारांश इन दो वाक्यों में उम्मत को सिखलाया गया है : *ला इला.ह इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह* (अल्लाह के सिवाय और कोई ईश्वर नहीं, मुहम्मद[सल्ल]अल्लाह का रसूल है)।"

(आख़िरी किताब *"हक़ीक़तुल् वह्य"*, पृ॰ 111)

Scanned with CamSca

अब इसी संदर्भ में हज़रत मिर्ज़ा साहिब के देहांत से केवल बीस घंटे पहले का यह स्पष्टीकरण मुलाहिज़ा फरमाएं :

25 मई 1908 ई॰ स्थान लाहौर, समय ज़ुहर

एक व्यक्ति सरहदी (यानि सीमावर्ती इलाके का कोई पठान) आया, बड़ी कठोरता से बातें करने लगा, उस पर फ़रमाया :

"मैं ने अपनी ओर से कोई अपना *कलिमा* नहीं बनाया, न नमाज़ अलाहिदा बनाई, बल्कि हज़रत पैग़म्बरश्री[ﷺ] के अनुसरण को ही दीन व ईमान समझता हूँ। यह *नबूवत* का शब्द जो इख़्तियार किया गया है सिर्फ़ अल्लाह की ओर से है। जिस व्यक्ति पर भविष्यवाणी *(अ॰, नबूवत)* के तोर पर परमात्मा की ओर से किसी बात का प्रकटन अधिकता से हो उसे 'नबी' *(भविष्यवाणी करने वाला)* कहते हैं। परमात्मा का व्यक्तित्व परमात्मा के निशानों द्वारा ही पहचाना जाता है। इसी लिए *अवलिया उल्लाह* (सन्त लोग) भेजे जाते हैं। मौलाना रूम की *मसनवी* में लिखा है : **آں نبیِ وقت باشد اے مرید आँ नबी–ए–वकत बाशद ऐ मुरीद** (यानि ऐ मुरीद! इस बात को पल्ले बाँध कि वह यानि वक़्त का *इमाम* (गुरु) अपने दौर का नबी होता है)

मुहैउद्दीन इबन अरबी ने भी ऐसा ही लिखा है। हज़रत मुजद्दिद (सरहिन्दी) ने भी यही *अक़ीदा* ज़ाहिर किया है। अतः क्या सब को काफ़िर कहो गे?"

(डॉइरी, *अख़बार बदर कादियान,* दिनांक 10 जून 1908 ई॰)

संपादक का नोट :

हज़रत मिर्ज़ा साहिब के जीवन की इस अन्तिम घटना से साफ़ ज्ञात होता है कि हज़रत मिर्ज़ा साहिब ने 'नबी' का शब्द अपने शाब्दिक अर्थ एवं सूफ़ी परिभाषा में ही इस्तेमाल किया है। सूफ़ी लोग उच्च कोटि के वली (सन्त) को *नबी* कह देते हैं, क्योंकि उस पर गैब (परोक्ष) की बातें सब से ज़्यादा खोली जाती हैं। भविष्यवाणी रूपी यह वरदान वास्तविक नबूवत का एक अंश मात्र है। अतः अंश का संपूर्ण से क्या मुक़ाबला।

बरेलवियों के इमाम स्वर्ग॰ मौलाना रज़ा ख़ान साहिब ने भी समय समय पर देवबन्दियों के ख़िलाफ़ अनेक फ़तवे जारी किये हैं। एक फ़तवा

Scanned with CamSca

बतोर नमूना मुलाहिज़ा फ़रमाएं :

"इन सब से मेलजोल कतई हराम है। इन से सलाम–कलाम हराम, इन्हें पास बिठाना हराम, इनके पास बैठना हराम, बीमार पड़ें तो इन की खेर–खेरियत पूछना हराम, मर जाएं तो मुसलमानों की तरह ग़ुसल व कफ़न देना हराम, इनका जिनाज़ह उठाना हराम, इन पर नमाज़े जनाज़ह पढ़ना हराम, इनको मुसलमानों के कबरिस्तान में दफन करना हरांम, और इन की क़बर पर जाना हराम।" (फ़तावा रज़विया, जिल्द 6, पृ॰ 90)

बरेलवियों के ख़िलाफ़ कुफ़्र के फ़तवे

"यह सब तकफ़ीरें (दूसरों को काफ़िर कहना) और लानतें कबर में बरेलवी और उसके अनुयायिओं की ओर लौट कर उन की यातना का कारण, और मरते समय उन के ईमान व विश्वास छिन जाने का कारण होंगी। क्योंकि फ़रिश्ते अल्लाह के रसूल से कहेंगे : आप नहीं जानते कि इन्हों ने आप के बाद क्या क्या नवीन पद्धतियाँ जारी कीं। और अल्लाह के रसूल[सल्ल] बरेलवी दज्जाल और उनके अनुयायिओं को दूर हो जाओ! दूर हो जाओ! फ़रमा कर *शिफ़ाअत* के पावन हौज़ से कुत्तों की भांति ध ुतकार दें गे, और वे उन सब दिव्य वरदानों और सवाबों से वंचित किये जाएं गे जो मुसलमानों के लिए निश्चित हैं।"

(*रजूमुल् मुज़नबीन अला रऊसश् शैयातीन अलमशहूर बिहश् शहाबि साकिब अलल् मुसतरिकिल् काज़िब,*

पृ॰ 111, लेखक मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी, देवबन्दी छाप)

"मौलवी अहमद रज़ा ख़ान साहिब बरेलवी अपने समस्त अनुयायिओं सहित काफ़िर हैं और जो इन्हें काफ़िर न कहे और उनको काफ़िर कहने में किसी भी कारण शक करे वह भी निश्चय ही पक्का काफ़िर है।"

(*रद्दुत् तकफ़ीर* पृ॰ 11, लेखक मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी, बहवाला *'फ़तावा कुफ़्र और नाजी जमात'*, पृ॰22)

किसी ने देवबन्द के **मौलाना रशीद अहमद साहिब गंगोही** से पूछा :

"**सवाल** (अगर कोई व्यक्ति).....कबरों पर चादरें चढ़ाता हो, और मदद बुज़ुर्गों से माँगता हो, या ऊरस व तीजा आदि *बदअतों* का कर्ता हो और यह जानता हो कि ये अच्छे कर्म हैं तो ऐसे व्यक्ति से निकाह जाइज़ है या नहीं? क्योंकि यदि यहूदियों और ईसाइयों से जाइज़ है तो इन से क्यों नाजाइज़ हो?

Scanned with CamSca

जवाब : जो व्यक्ति ऐसे काम करता हो वह एकदम अधर्मी है, और संभावना कुफ्र की है। ऐसे व्यक्ति से निकाह करना मुसलमान बेटी के लिए नाजाइज़ है, क्योंकि अधर्मियों से मेलजोल हराम है।''

(*फ़तावा रशीदिया,* जिल्द 2, पृ॰ 142, बहवाला *देवबन्दी मज़हब* पृ॰ 493, लेखन गुलाम महर अली शाह, मुद्रण लाहौर)

ग़ैर–मुकलदीन (अहले हदीस या वहाबियों) के ख़िलाफ़ फ़तवे

''*मुरतद* हैं, उम्मते इस्लामिया की सर्वसम्मत्ति से इस्लाम से बाहर हैं। जो इनकी बातों को मानने वाला होगा, काफ़िर और गुमराह होगा। इनके पीछे नमाज़ पढ़ने, इनके हाथ का ज़िबह किया हुआ जानवर खाने और अन्य सभी मामलों में इनके विषय में वही हुक्म है जो *मुरतद* (इस्लाम छोड़ने वाले) के लिए है।'' (इशतिहार, जारी कर्ता मौलाना शैख़ महर मुहम्मद क़ादिरी लखनऊ, इस फतवे पर 77 मुस्लिम उलमा के हस्ताक्षर हैं)

''*ग़ैर मुकलदीन* का फिर्क़ा जिन की ज़ाहरी निशानी ऊँची आवाज़ में आमीन कहना, नमाज़ में बार बार हाथ उठाना, और नमाज़ में सीना पर हाथ बाँधना, और इमाम के पीछे सूरः हमद पढ़ना है, सुन्नत जमात से बाहर हैं, अन्य गुमराह फ़िर्क़ों जैसे राफ़जी ख़ारजी आदि के समान हैं।''

(*जामिअुश् शवाहिद फ़ी इख़राजिल् वहाबीन अनिल् मसाजिद,* इस फ़तवा पर भी 70 के लगभग उलेमा के हस्ताक्षर हैं)

जमाते इस्लामी के ख़िलाफ़ फ़तवे

''मौदूदी साहिब की किताबों के उद्धरण देखने से मालूम हुआ कि उन के विचार माननीय इमामों और आदरणीय नबियों की शान में गुस्ताखियों से परिपूर्ण हैं।[1] इनके गुमराह होने और दूसरों को गुमराई की ओर लेजाने में कोई शक नहीं। मेरा समस्त मुसलमानों से निवेदन है कि इन की मान्यताओं और विचारों से अलग रहें, इनको इस्लाम का सेवक न समझें और भ्रम में न रहें। हज़रत नबी[सल्ल]ने फ़रमाया कि असली दज्जाल से पहले तीस दज्जाल पैदा होंगे, जो इस दज्जाल के लिए रास्ता हमवार

Scanned with CamSca

करें गे। मेरे विचारानुसार इन तीस दज्जालों में से एक मौदूदी हैं।''

(*हक़परस्त उलेमा की मौदूदियत से नाराज़गी के असबाब*, पृ॰ 97,संकलनकर्ता मौलवी अहमद अली, अंजुमन खुद्दामुद्दीन, लाहौर)

हैदर आबाद से जमाते इस्लामी के ख़िलाफ़ एक फ़तवा **''उलेमा का मुतफ़िक़ा फ़ैसला''** शीर्षक से छपा है। इस इशतिहारी फ़तवे पर बरेलवियों के मौलाना मुफ़्ती मज़हर अल्लाह साहिब, देवबन्दियों के मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी और रामपूर के मौलाना वजीहुद दीन अहमद खान के अलावा बहुत सारे उलेमा के हस्ताक्षर छपे हैं। शीर्षक के नीचे ही यह वाक्य छपा है :

''ऐसे इमाम के पीछे नमाज़ मकरूह है और उसे बरख़ास्त कर देना ज़रूरी है।''

इसी एतिहासक फ़तवा से जमीअत उलमा–ए–हिन्द के सदर स्वर्ग॰ मौलाना सैयद हुसैन अहमद साहिब मदनी के शब्द मुलाहिज़ा हों :

''मौदूदियों का मसलक (धर्म पद्धति) न सिर्फ़ हम हनफ़ियों यानि इमाम अबू हनीफ़ा[रअ] के अनुयायिओं के ख़िलाफ़ है। बल्कि वह संपूर्ण *अहले सुन्नत वल् जमात* के ख़िलाफ़ भी है। इस लिए किसी मौदूदी ख़याल के इमाम के पीछे नमाज़ न पढ़नी चाहिए और ऐसे इमाम को बरख़ास्त कर देना ज़रूरी है।'' (हस्ताक्षर हुसैन अहमद, दिनांक 8 ज़ीक़अद 1373 हिजरी, *सदर जमीअत उलमा–ए–हिन्द*)

पाकिस्तानी *जमीअत उलमा–ए–इस्लाम* के सदर का फ़तवा

इसी प्रकार पाकिस्तानी *जमीअत उलमा–ए–इस्लाम* के सदर मौलाना मुफ़्ती महमूद साहिब ने प्रेस कलब हैदर आबाद में एक पबलक जलसे में भाषण देते हुए खुले आम कहा :

''मैं आज यहां प्रेस कलब हैदर आबाद में फ़तवा देता हूँ कि मौदूदी गुमराह काफ़िर और इस्लाम से बाहर है। इस से और इसकी जमात से संबंध रखने वाले किसी मौलवी के पीछे नमाज़ पढ़ना नाजाइज़ और हराम है। इस की जमात से संबंध रखना खुला कुफ़्र और गुमराही है। यह अमरिका और धनवानों का एजनट है।''

(साप्ताहिक *'ज़िन्दगी'*, 10 नवम्बर 1949 ई॰)

मौदूदी जमात के ख़िलाफ कुफ़्र के फतवों के कई संग्रह उपलब्ध हैं।

Scanned with CamSca

मुसलमान कौन और कहाँ हैं?

यदि उलेमा के वे सब फ़तवे एक जगह जमा कर दिये जाएं जो उन्हों ने आदिकाल से आज तक एक–दूसरे के विरुद्ध जारी किये हैं तो उसके संग्रहण के लिए कई जल्दों की ज़रूरत होगी। दूसरी बात यह कि यदि इन फ़तवें को सही और *वाजबुल अमल* करार दिया जाए तो फिर भूमंडल पर एक भी व्यक्ति ऐसा शेष न बचेगा जिस को *उम्मते मुहम्मदिय्या* में शामिल माना जा सके। क्योंकि मुसलमानों का कोई भी फ़िरक़ा, कोई भी जमात, कोई भी वली (सन्त), कोई भी इमाम, कोई भी लीडर, कोई भी नायक ऐसा नहीं कि जिस के खिलाफ़ कहीं न कहीं से कोई कुफ्र का फ़तवा जारी न किया गया हो।

इन्साफ़ और न्याय का दोहरा मापदंड

लेखन : स्वर्ग॰ मौलाना मुहम्मद उसमान फ़ारक़लीत (प्रधान संपादक *'अल–जमीअत'* दिल्ली)

"*अहले सुन्नत* क़ादियानियों को क़ाफिर करार देते हैं ..... लेकिन *अहले सुन्नत* के इन उलेमा को सब से पहले मुजद्दिद बरेलवी (यानि मौलाना अहमद रज़ा ख़ान साहिब––अनुवादक) के दरबार से अपने मुसलमान होने का सर्टीफ़िकेट हासिल करना चाहिए। यदि वे इस दरबार से मुसलमान न साबित हुए तो उन्हें क़ादियानियों को ग़ैर–मुस्लिम ठहराने का कोई हक नहीं। और यह मालूम है कि हज़रत मुजद्दिद बरेलवी ने अपनी किताब *'हसामुल हरमैन'* में देवबन्दी और अहले हदीस उलेमा और उन के समस्त हमख़यालों को काफ़िर बल्कि *अक्फ़र* (महा काफ़िर), *अबू जहल* से बदतर और जहन्नमी करार दिया है। यहाँतक कि जो मुसलमान इन को काफ़िर न कहे वह भी काफ़िर है। यह भी हक़ीक़त है कि बरेलवी ख़याल के मुसलमान बहुसंख्या में हैं, और अन्य मुसलमान अल्पसंख्या में। और जब ये सब ग़ैर–बरेलवी उलेमा उन के विचार में काफिर और *अक्फ़र* ठहरे तो उन्हें दूसरों को काफ़िर या ग़ैर–मुस्लिम करार देने का हक़ कहाँ से हासिल हुआ?

मुजद्दिद बरेलवी ने भी अहले सुन्नत उलेमा की किताबों से वही बातें

Scanned with CamSca

निकाली हैं जो बातें उलेमा मिर्ज़ा क़ादियानी की किताबों से निकाल कर दिखाते और उन पर कुफ्र का फ़तवा लगाते हैं। मिसाल के तोर पर उलमा के निकट कादियानी *ख़तमे नबूवत* के मुन्किर हैं। अब यही आरोप मुजद्दिद बरेलवी ने देवबन्दी उलेमा पर लगा कर उनको काफ़िर और *अक्फ़र* (महा काफ़िर) करार दिया है। *दारुल उलूम* देवबन्द के संस्थापक स्वर्ग॰ हज़रत मौलाना मुहम्मद कासिम के इस लेखांश को कुफ्र का आधार करार दिया गया है :

"अगर बिल्–फ़र्ज बाद ज़माना नबवी भी कोई नबी पैदा हो तो फिर भी ख़ातमीयते मुहम्मदी में फ़र्क नहीं आये गा।"

(देवबन्द के संस्थापक मौलाना मुहम्मद कासिम की पुस्तक, *तहज़ीरुन् नास*)

यानि हज़रत पैगम्बरश्री[सल्ल]के बाद कोई और नबी आ जाये तब भी आपकी *ख़तमे नबूवत* में कोई अन्तर नहीं पड़ेगा। यद्यपि मौलाना मुहम्मद क़ासिम *खतमे नबूवत* के मुन्किर (इनकार करने वाला) नहीं। लेकिन विरोधियों ने राई का पहाड़ बना कर, और इनको *ख़तमे नबूवत* का मुन्किर करार देकर काफ़िर ठहराया। **यही हाल उलेमा का है। वे भी मिर्ज़ा कादियानी की किताबों से इसी किसम के लेखांश नक़ल करते हैं। और फिर उन्हें ग़ैर–मुस्लिम करार देने का खतरनाक आंदोलन चलाते हैं।** अब यदि बरेलवी मुसलमान और उनके उलेमा, जिन की देश में बहुसंख्या है, यह माँग कर बैठें कि चूंकि ग़ैर–बरेलवी काफ़िर और *अक्फ़र* (महा काफ़िर) हैं। इस लिए इनको गैर–मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय करार दिया जाए, तो उलेमा के पास इसका क्या तोड़ होगा? मज़े की बात यह है कि मिर्ज़ा साहिब कादियानी तो अपने आप को ***मुहम्मदी मसीहा*** कहें और अपनी *नबूवत* को ***मजाज़ी*** (आलंकारिक) करार दें और हक़ीक़ी नबूवत के दावेदार होने से इन्कार करें तब भी काफ़िर ठहरें, जैसा कि उन्हों ने लिखा है : **سميت نبياً على طريق المجاز لاعلى وجه الحقيقة**[1]

(मैं *मजाज़ी* (आलंकारिक) तोर पर नबी हूँ न कि हक़ीकी तोर पर)।

लेकिन हमारे उलेमा इसराईली और हक़ीक़ी नबी (यानि हज़रत ईसा मसीह) को हज़रत पैग़म्बरश्री[सल्ल]के बाद दुनिया में लायें और फिर भी काफ़िर करार

1 अगले पृष्ठ पर देखें।

Scanned with CamSca

न पायें बल्कि पक्के मुसलमान और *मुकफ़्फ़र* (दूसरों को काफ़िर ठहराने वाले) ही ठहरें ???"

(मासिक *"शबिस्तान"* दिल्ली, नवम्बर 1974 ई॰, पृ॰ 119)

---

(1). यह वाक्य हज़रत मिर्ज़ा साहिब की आख़री किताब *"हक़ीक़तुल् वह्य"* से लिया गया है। ख़ाविंद (पति) को *मज़ाजी ख़ुदा* और हदीस में बादशाह को *अल्लाह का ज़िल* (प्रबिंब या साया) कहा गया है। क्या इस तरह वे सचमुच हक़ीक़ी ख़ुदा हो गए? यदि हक़ीक़त और *मजाज़* (अलंकार) में कोई अन्तर नहीं, जैसा कि मिर्ज़ा साहिब के विरोधी उलेमा विरोध की तीव्रता के अन्तर्गत या स्वयं हज़रत मिर्ज़ा साहिब के मुरीदों का एक बड़ा गिरोह प्रेमवश कह देते हैं, तो क्या ख़ुदा को *मजाज़ी ख़ुदा या ज़िल्ली ख़ुदा* कहना सही हो गा? अगर नहीं तो क्यों? कहते हैं कि दुनिया में एक लाख चौबीस हज़ार पैग़म्बर प्रकट हुए, जिन में बाज़ नई शरीयत (धर्मविधान) लाये और बाज़ ने पिछली शरीयत में देश और काल की ज़रूरतों के अन्तर्गत केवल संशोधन किये। क्या इन सभी पैग़म्बरों में से किसी ने कभी स्वयं को *मजाज़ी नबी, ज़िल्ली नबी, जुज़वी नबी (आंशिक नबी), ग़ैर–हक़ीक़ी नबी,* आदि के तोर पर पेश क्या था? यादि नहीं तो क्यों। डॉ॰ सर मुहम्मद इक़बाल ने भी अपने देहांत से कुछ महीने पहले हंमारे मुबलिग़ मौलाना सैयद अख़तर हुसैन गीलानी से यही कहा था कि हज़रत मिर्ज़ा साहिब को हक़ीकी नबी करार देना क़ादियानी ख़लीफ़ा मिर्ज़ा महमूद अहमद साहिब की एक महा भूल है, क्योंकि यादि मिर्ज़ा साहिब सच में नबियों के आगमन का सिलसिला जारी समझत तो उन्हें *'ज़िल्ल'* और *'बरूज़'* जैसे परिभाषिक शब्द इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत थी। (ख़ुर्शीद)

AHMADIYYA ANJUMAN ISHA'AT ISLAM INDIA
L-25/ Dilshad Garden. Delhi-110095 Ph. 22596616
E-mail : ahmadiyyaanjuman@yahoo.co.in
Our website : www.aaiil"org. (or) islam.lt
www.aaiil.org / india

Scanned with CamSca